कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा जिला दौसा

क्रमांक/स्था0/2020/64 — दिनांक 13.02.2020

विज्ञप्ति

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक जी/आई/ए–4(i)(a)55/16/1276 दिनांक 30.01.2020 के अनुसरण में दौसा न्यायक्षेत्र के न्यायालयों में वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 61 रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं राजस्थान सरकार कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17(10)डीओपी/ए–11/94 दिनांक 08.02.2018 के तहत तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत करते हुए, जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में, समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्ति पर दिनांक 31.03.2020 तक अथवा रिक्त पदों के नियमानुसार भरने तक अथवा कर्मचारी द्वारा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, की कालावधि के लिए सेवाएं लिये जाने हेतु निम्न शर्तो के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

शर्ते :–

(1) उक्त पदों पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि उक्त परिपत्र के अनुसार होगी।

(2) समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त 01 वर्ष में 12 दिवस की वेतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिये मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।

(3) समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक की पुर्ननियुक्ति किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

(4) कार्मिक को पुर्ननियुक्ति के समय सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(5) ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त के लिए विचार नहीं किया जायेगा।

(6) पुनर्नियुक्ति हेतु ऐसे सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पात्र होंगे, जिन्होने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।

इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को विज्ञप्ति के संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण भरकर, वांछित दस्तावेजों सहित, प्रस्तुत करना होगा। उक्त सेवाएं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त आदेशों/निर्देशों के अध्यधीन रहेगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तो पर सेवाएं देने हेतु इच्छुक सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिनांक 28.02.2020 को सांय 5.00 बजे तक इस कार्यालय में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किये जाने आवश्यक है:–

1. विभाग के द्वारा जारी सेवानिवृत्ति आदेश की प्रति।
2. अंतिम भुगतान प्रमाण पत्र (एलपीसी) प्रति
3. पीपीओ की प्रति
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न है।)

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
दौसा जिला दौसा
13.2.2020

क्रमांकः 1382 — दिनांक 13.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
2. माननीय रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर
3. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश ....
4. जिला कलेक्टर, दौसा
5. पुलिस अधीक्षक, दौसा
7. दौसा न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालय (नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु) ....
8. जिला जन संपर्क अधिकारी, दौसा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सिस्टम ऑफिसर, अदालत हाजा को कार्यालय की बैवसाईट पर अपलोड़ करने हेतु।
10. नोटिस बोर्ड, अदालत हाजा।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
दौसा जिला दौसा
13.2.2020

सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में आवेदन प्रारूप

PHOTO

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम : ....
2. पिता का नाम : ....
3. जन्म तिथि : ....
4. पता : ....
....
5. अर्हताएं : ....
6. मूल विभाग का नाम : ....
7. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद : ....
8. अनुभव : ....
9. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन + ग्रेड पे)
(एलपीसी संलग्न करें) : ....
10. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न) : ....
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र : ....

बचनबंध

मैं .... यह सत्यापित करता हूं कि मेरे द्वारा इस आवेदन पत्र के पैरा संख्या 1 लगायत 10 तक की सभी सूचनाएं सत्य हैं, इनमें कुछ भी असत्य नहीं है, और न ही मैंने कोई तथ्य छिपाया है। मैं राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 में दिये गये सहमत निर्वधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक हूं। मैं संविदात्मक वचनवद्ध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत हूं और वचन देता हूं।

स्थान :

दिनांक :

सेवानिवृत्त कर्मचारी
के हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु सं. 1 से 11 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती .... पुत्र/पत्नी .... जो सेवानिवृत्ति से पूर्व .... पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के संबंध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती .... की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबंध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती .... रू .... मासिक मूल वेतन आहरित कर रहा था/करी रही थी और श्री/श्रीमती .... अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया है/गयी है और श्री/श्रीमती .... के विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लंबित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर मय सील